<u>**प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 39/2023)**</u>

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

<u>**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**</u>

भादूविप्रा ने 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली' दिनांक 17.08.2020 की अपनी पूर्व अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पर अपना जवाब जारी दिया।

नई दिल्ली, 2 मई 2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली' दिनांक 17.08.2020 की अपनी पूर्व अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त पिछले संदर्भ पर अपना जवाब जारी किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 27.01.2023 के माध्यम से भादूविप्रा की अनुशंसा 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली' पर एक अनुशंसा को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11 के तहत भादूविप्रा को पुनर्विचार के लिए भेजा था।

परीक्षण के बाद, भादूविप्रा ने पिछले संदर्भ पर अपने जवाब को अंतिम रूप दे दिया है। प्राधिकरण द्वारा दिए गए विचार भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 और ईमेल: advmn@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा